



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] No. 591] नई दिल्ली, 'बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2004/आघाढ़ 10, 1926

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2004/ASADHA 10, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

का.आ. 759(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड का, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड .	भूखंड कि. मी. में
(1)	(2)	(3)
7-ए	मालायम कोट्टई-तूतीकोरिन-तूतीकोरिन पत्तन	51.0 कि. मी. से 51.2 कि. मी.

[फा. सं. एन एच-14012/5/2003-पी एंड एम] इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2004

S.O. 759(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TARLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometre
(1)	(2)	(3)
7-A	Palayamkottai-Tuticorin-Tuticorin Port	From Km. 51.0 to Km. 51.2

[F. No. NH-14012/5/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) & Spl. Secy.

2028 GI/2004